## न्यायालयः-साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चन्देरी जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

## दांडिक प्रकरण क.—291/12 संस्थापित दिनांक—24.07.2012 Filling no. 235103004492012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :— आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)। ......अभियोजन विरुद्ध सलमान पुत्र हफीज अहमद, उम्र—27 साल, निवासी—बूंदाबाई के मंदिर के पास ईसागढ़ थाना ईसागढ जिला अशोकनगर (म.प्र.)।

....आरोपी

## —: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 22.01.2018 को घोषित)</u>

- 01— अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279, 337 (छ:बार) भा.द.वि. के अन्तर्गत इस आशय का अभियोग है कि दिनांक 01.05.2012 को समय 11:30 बजे पिपरोद मोड आमरोड प्रतिक्षालय का कार्यालय में टाटा मैजिक कं. एम.पी.—08. टी—1483 का चालक होते हुये उक्त वाहन का तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं उक्त वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाते हुये प्रतिक्षालय में टक्कर मारकर उसमें बैठे यात्री लीलाबाई, रामजीलाल, रेखा, मेहरवान, अब्दुल रसीद, मुकेश आदि को चोट पहुंचाकर उपहित कारित की।
- 02— प्रकरण में यह भी स्वीकृत है कि दिनांक 08.01.2018 को आहत मेहरवान मृतक लीलाबाई की ओर उसके पित मेहरवान एवं रेखाबाई तथा दिनांक 22.01.18 को मृतक आहत अब्दुल रसीद की ओर से उसके पुत्र असलम खांन द्वारा आरोपी से राजीनामा हो जाने से आरोपी सलमान को धारा 337 (रेखा, मेहरवान, लीलाबाई एवं अब्दुल रसीद के संबंध में) भा.द.वि. के तहत दोषमुक्त किया गया। प्रकरण में यह निर्णय आरोपी के विरूद्ध धारा 279 एवं 337 (आहत रामजीलाल एवं मुकेश) के संबंध में घोषित किया जा रहा है।
- 03— अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी पवन कुमार ने मौखिक रिपोर्ट की कि दिनांक 01.05.2012 को वह तथा रामजीलाल ओझा, मुकेश बंजारा, रेखाबाई, लीलाबाई तथा अब्दुल रसीद के साथ टाटा मैजिक एम.पी.—08. टी—1483 से ईसागढ़ से मुंगावली जा रहा था तथा डाईवर सलमान तेजी व लापरवाही से चला रहा था तथा उक्त वाहन को उसे धीरे चलाने का कहा गया किन्तु वह नहीं माना और तेजी व लारपवाही से चलाकर पिपरोद मोड पर बने प्रतिक्षालय में टकरा दिया जिससे टाटा

मैजिक में बैठे यात्री राजलीलाल, मुकेश, रेखाबाई, लीलाबाई तथा अब्दुल रसीद को चोटें आयी, जिन्हें दूसरी गाडी टवेरा से ईलाज हेतु सरकारी अस्पताल चंदेरी लाये तथा उनका सरकारी अस्पताल में ईलाज किया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लिये गये, पुलिस ने उसका मेडिकल कराया, घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, टाटा मैजिक को जप्त किया गया एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

04— यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त द्वारा पूर्व में आरोपो को अस्वीकार किया गया था, किन्तु अभियुक्त द्वारा दिनांक 22.01.18 को अपना अपराध स्वेच्छया पूर्वक बिना किसी डर, भय, दबाब के स्वीकार किया गया है। अतः अभियुक्त को धारा 279, 337 (आहत रामजीलाल एवं मुकेश के संबंध में) भा.द.वि. के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धी का कोई तथ्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। अभियुक्त नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित रहा है। फलतः अभियुक्त को धारा 279 भा.द.वि. के तहत 500/— रूपये के अर्थदण्ड से एवं धारा 337 (आहत रामजीलाल एवं मुकेश के संबंध में) भा.द.वि. के तहत 500—500/—रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने अभियुक्त को प्रत्येक धारा के लिये 15—15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

05— प्रकरण में जप्तसुदा टाटा मैजिक कं. एम.पी.—08. टी—1483 पूर्व से सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा सुपुर्दगीदार के पक्ष में अपील अवधि पश्चात भारमुक्त समझा जावे। अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

**06**— अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

07- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.) साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

*Criminal Case No-297/12* Filling number-235103004492012